संख्या- 119 /2021 /1101 /चार-2021-59 (बजट)/ 2018

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 29 जून,2021

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में संत कबीर अकादमी की स्थापना आदि कार्यो हेतु प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-260/सं0नि0-6(कबीर अकादमी)/2018-19 दिनांक 07 जून, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संत कबीर अकादमी की स्थापना आदि कार्यो हेतु मूल्यांकित लागत रू0 2359.00 लाख के सापेक्ष कुल धनराशि रू0 1653.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। तद्क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रश्नगत कार्य हेतु रू0 500.00 लाख (रूपये पॉच करोड़ मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 , दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. शासनादेश संख्या-87/2018/1533/चार-2018-59(बजट)/2018दिनांक 13 जून, 2018 में उल्लिखित शर्ते यथावत रहेंगी।
3. निदेशक, संस्कृति यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
4. कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।
5. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
6. उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जाएगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जाएगी। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के संबंध में वित्त विभाग के मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
7. उपर्युक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या-92 के अधीन लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय-04-कला एवं संस्कृति -800-अन्य व्यय -44-संत कबीर अकादमी की स्थापना 24-वृहत निर्माण कार्य में उपलब्ध धनराशि से वहन की जाएगी।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 , दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 119 /2021/ 1101 (1) /चार-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद , नीलिगिरी काम्पलेक्स इन्दिरानगर लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।